प्रेस नोट

थाना एका पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित/फरार चल रहे ₹ 10000 के इनामियाँ अभियुक्त योगेश कुशवाह को अवैध असलाह व कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार।

थाना एका पर पंजीकृत मु0अ0सं0 232/19 धारा 302/201 भादवि जिसमें बन्टू उर्फ उपेन्द्र पुत्र श्री नरसिंह पाल निवासी मीसाँकला थाना अवागढ एटा की हत्या कर डैडबॉडी शीषिया नहर पुल के पास थाना एका में फेंक गये थे जिसमें कुल अभियुक्तों में से पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 30-08-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी जसराना के नेतृत्व में थानाध्यक्ष एका मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 232/19 धारा 302/201 भादवि में वाँछित **₹** 10000 हजार के इनामिया अभियुक्त योगेश कुशवाह पुत्र तालेवर नि0 ग्राम नरोरा थाना अवागढ जिला एटा को कोडरा अवागढ़ रोड पर अमृत सिंह फौजी की समर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अवैध असलाह की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 145/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1) योगेश कुशवाह पुत्र तालेवर उम्र करीब 36 वर्ष नि0 ग्राम नरोरा थाना अवागढ जनपद एटा।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.एसओ श्री रविन्द्र कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना एका फिरोजाबाद।

1.उ0नि0श्री सत्यप्रकाश सिंह थाना एका फिरोजाबाद।

2.हे0कानि0 200 अशोक कुमार थानाध्यक्ष थाना एका फिरोजाबाद।

3.कानि0 363 देवेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष थाना एका फिरोजाबाद।

4.का. 1041 गोविन्द कुमार थानाध्यक्ष थाना एका फिरोजाबाद।

5. का0 409 योगेश कुमार थानाध्यक्ष थाना एका फिरोजाबाद।

6. चालक हे.का सतीश चन्द थानाध्यक्ष थाना एका फिरोजाबाद।